

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17
फोन नं: 0141-2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

दिनांक: 08-03-2019

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामुगति/बाल सभा/2018-19/12818

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

विषय—माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/दाणी के सार्वजनिक स्थान पर बालसभा आयोजन बाबत्।

दिनांक 09 फरवरी, 2019 से ग्रामीण राजकीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली शनिवारीय बाल सभाओं का आयोजन राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर हो रहा है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से यह नवाचार छात्रों, अभिभावकों, ग्राम वासियों के साथ—साथ शिक्षकों द्वारा भी अत्यन्त उत्साह के साथ अपनाया गया है।

समुदाय की भागीदारी को निरन्तर सुनिश्चित करने की दृष्टि से शनिवारीय बाल सभाओं का आयोजन शैक्षणिक सत्र के अन्त तक होना चाहिये। शनिवारीय बाल सभाओं के संबंध में पूर्व में हुए प्रयोग के अनुभव के आधार पर यह तथ्य सुप्रमाणित है कि इन बाल सभाओं के सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन से माह जुलाई में नव सत्र प्रारंभ के समय नामांकन में इसका प्रत्यक्षतः लाभ मिलेगा।

अतः सार्वजनिक स्थानों पर बाल सभाओं के आयोजन के लाभ के मध्यनजर यह अपेक्षित है कि पूर्व दिशा—निर्देशानुसार राज्य के समस्त ग्रामीण राजकीय विद्यालयों में शनिवारीय बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर करवाया जायें। बोर्ड परीक्षा/अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में शामिल छात्र—छात्राओं को छोड़ते हुए शेष छात्र—छात्राओं के साथ उत्साहपूर्वक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इन बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से करवायें। बाल सभाओं के आयोजन के संबंध में शाला दर्पण पर प्रविष्टियाँ भी करना सुनिश्चित करें।

५
(प्रदीप कुमार बोर्ड)

आयुक्त

स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्
जयपुर

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामुगति/बाल सभा/2018-19/12819

दिनांक : 08-03-2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-I & II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. उपायुक्त समस्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त संभाग।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
10. रक्षित पत्रावली।

५
आयुक्त

स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्
जयपुर